न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास—रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

संख्या :— 78/2020

वादी	प्रतिवादीगण
रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम जाति मेघवाल निवासी माण्डेली तहसील व जिला नागौर, राज.	1. रामनिवास पुत्र खींयाराम 2. पीराराम पुत्र रतनाराम 3. भगवानाराम पुत्र पन्नाराम 4. भेराजराम पुत्र पन्नाराम 5. दानाराम पुत्र पन्नाराम 6. भोमाराम पुत्र पन्नाराम 7. शायरी पत्नी हजारीराम 8. पुरखाराम पुत्र हजारीराम 9. डुंगरराम पुत्र हजारीराम 10. छतारात पुत्र स्व. दुलाराम 11. अर्जुनराम पुत्र स्व. दुलाराम जाति सभी मेघवाल, निवासीगण माण्डेली तहसील व जिला नागौर, राज. 12. तहसीलदार, नागौर।

वकील वादी
श्री भूराराम बिकुनियां

वकील प्रतिवादी
श्री मानराज गुणपाल

निर्णय

दिनांक :— **26.02.2021**

1— वादीगण की ओर से निम्न वाद पेश :—

1. यह हैं कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है इनके कब्जासुदा सहखातेदारी की भूमि हाल खेत खसरा नं. 1 रकबा 15. 0543 हैक्टेयर (93 बीघा) वाके मौजा खेतास तहसील नागौर में स्थित है नकल खतौनी साथ पेश है।
2. यह है कि उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड खतौनी में खींयाराम, मंगाराम, पनाराम, दुलाराम, पीराराम पिसरान रतनाराम कौम मेघवाल साकिन माण्डेली के नाम से सहखातेदारी दर्ज थी, कालान्तर में खींयाराम का देहान्त हो गया व खींयाराम के स्थान पर रामनिवास, मीरादेवी, धापुदेवी, बादुदेवी, रामप्यारी जमना पिसरान खींयाराम के नाम दर्ज हुऐ और खींयाराम की पुत्रीयां मीरादेवी, धापुदेवी, बादुदेवी, रामप्यारी व जमना ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई रामनिवास प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तर्क कर उसका तर्कनामा दिनांक 12.04.2019 को निष्पादित कर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

उप पंजियक कार्यालय नागौर में दिनांक 12.042019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1235 क्रमांक 20190309910267 पर पंजीबद्व करवा दिया, जिससे खींयाराम की पुत्रियों को वाद में पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा खतौनी में मंगाराम पुत्र रतनाराम नाम गलत दर्ज है जबकी मदाराम पुत्र रतनाराम दर्ज होना चाहिए था। मदाराम को बोलचाल में मंगाराम भी कहते थे इसलिए मदाराम के स्थान पर मंगाराम गलत दर्ज हो रखा है जबकि दीगर खेत खसरा नं. 391 मौजा गारेरा में मदाराम सही नाम दर्ज है जिसमें स्व. मदाराम के स्थान पर वादी रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है मगर इस वादग्रस्त खेत मौजा खेतास के खसरा नं. 1 की खतौनी में मदाराम की जगह मंगाराम गलत दर्ज हो गया, इसलिए इस हद तक रेकर्ड की दुरूस्ती की जाना आवश्यक है। उक्त मदाराम (गलत दर्ज नाम मंगाराम) वादी के गोद पिता थे जिनकी मृत्यु दिनांक 23.12.2009 को हो गयी व उनकी पत्नी रामीदेवी की मृत्यु दिनांक 20.01.2014 को हो चुकी है इनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश है।

3. यह है कि मदाराम व उनकी पत्नी रामीदेवी के कोई जायंदा संतान नहीं होने से वंश वृद्धि के लिए वादी को गोद लेकर विधिवत रश्मे अदा कर गोदनाम दिनांक 08.06.1998 को निष्पादित कर उप पंजियक नागौर में पंजिबद्व करवाया गया है जिसकी प्रति भी पेश है।

4. यह है कि वादी अपने गोद पिता मदाराम के साथ उक्त खहखातेदारी की भूमि खसरा नं. 1 रकबा 15.0543 हैक्टेयर (93 बीघा) वाके मौजा खेतास पर काबिज था व अपने गोद पिता मदाराम के देहान्त के पश्चात बहैसित मालिक काबिज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश मदाराम के स्थान पर मंगाराम नाम दर्ज होने से गोदनामा के आधार पर मदाराम के स्थान पर रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम नाम का नामान्तरकरण नहीं हो रहा है जबकी वादी के गोद पिता मदाराम के अन्य पहचान के दस्तावेज में सही नाम मदाराम दर्ज है व खतौनी में मंगाराम गलत दर्ज है जबकि रतनारामजी के मंगाराम नाम का कोई पुत्र नहीं था, मंगाराम नाम मदाराम की जगह दर्ज हुआ है मदाराम की मंगाराम है इसलिए इसकी दुरूस्ती कर वादी को मौजा खेतास के खसरा नं. 1 रकबा 15.0543 हैक्टेयर (93 बीघा) में दीगर प्रतिवादीगण के साथ रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम नाम से सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है इस हेतु यह वाद पेश है चूंकि वाद बाहुल्यता नहीं बढे इस कारण घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का संयुक्त वादहेतुक उत्पन्न होने से संयुक्त वादहेतुक के संबंध में एक ही वाद पेश किया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है व विधि की भी यही मंशा है कि जहां तक संयुक्त वाद के जरिये अनुतोष दिये जाने की स्थिति हो वहां संयुक्त अनुतोष हेतु एक ही वाद पेश किया जाना जा सकता है इस कारण घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु एक ही वाद पेश किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

5. यह है कि बिनायवाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जासुद पुश्तेनी भूमि होने व वादी स्व. मदाराम पुत्र रतनाराम का गोद पुत्र होने व वादी के गोद पिता मदाराम का खसरा नं. 1 की खतौनी में गलत नाम मंगाराम दर्ज होने के कारण वादी के नाम गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सकने व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पटवारी व तहसीलदारजी से निवेदन करने पर वादी को घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु दावा करके कोर्ट से आदेश करवाने पर ही उक्त समस्या का समाधान हो सकने के बारे में बताने के कारण वादी को यह वाद घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करने का हेतुक सरहद मौजा खेतास तहसील नागौर में पैदा हुआ, जिससे अन्दर मियाद वाद पेश है।

6. वादी की प्रार्थना है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुसार डिक्री किया जावे–

   क) कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1 रकबा 15.0543 हैक्टेयर (93 बीघा) बीघा सरहद मौजा खेतास तहसील नागौर के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मंगाराम पुत्र रतनाराम के स्थान मदाराम पुत्र रतनाराम दर्ज करते हेतु रेकर्ड दुरूस्ती की जाकर मदाराम के स्थान पर वादी का नाम रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री मामराज गुणपाल ने दिनांक 27.01.2021 को वकालातनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया।

वादी रामप्रताप एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से दिनांक 27.01.2021 को राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर संलग्न पत्रावली हैं। अतः वादी का वाद माफीक राजीनामा अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं :–

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 15.0543 हैक्टेयर (93 बीघा) सरहद मौजा खेतास तहसील नागौर के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मंगाराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर स्व. मदाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्ती की जाकर मदाराम के स्थान पर वादी का नाम रामप्रताप दत्तक पुत्र मदाराम प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता हैं।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी होकर रेकर्ड में अमल दरामद हेतु इस निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार नागौर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.02.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर